

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)
स०सं०:- 03/भू०अ०नि०(4) वि० सर्वे०-14/2022.....2704

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा, भा०प्र०से०
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अध्यक्ष,
बिहार भूमि न्यायाधिकरण,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 13/04/2023

विषय :- बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011/नियमावली, 2012 के अन्तर्गत अंतिम रूप से प्रकाशित अधिकार-अभिलेख की प्रविष्टियों के विरुद्ध पारित आदेश के विरुद्ध, आवेदन पर सुनवाई करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य के प्रथम चरण में 20 जिलों में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 एवं नियमावली, 2012 अन्तर्गत गत अधिकार-अभिलेख को विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम तहत अद्यतन कर नया अधिकार-अभिलेख (प्रपत्र-20) में तैयार किया जा रहा है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा- 11 एवं नियमावली-2012 के नियम-15 उप नियम-1 अन्तर्गत मानचित्र सहित अंतिम रूप से अधिकार-अभिलेख प्रकाशित किया जाता है। साथ ही विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 के नियम-15 उप नियम- 3, 4, 5 एवं 6 अन्तर्गत दावा/आपत्ति प्राप्त कर निष्पादन किया जाता है और बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा-11 उपधारा- 3 एवं 12 और नियमावली- 2012 के नियम-16 अभिलेख अंतिम रूप से प्रकाशित उपधारित कर दिया जाता है।

उक्त के आलोक में स्पष्ट करना है कि बिहार भूमि न्यायाधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा-9 के आलोक में बिहार भूमि न्यायाधिकरण की शक्तियाँ निम्नवत् है:-

धारा- 9- न्यायाधिकरण की शक्तियाँ- (1) न्यायाधिकरण को निम्नांकित अधिनियमों/हस्तकों के सम्बन्ध में उचित अधिकारियों द्वारा पारित अन्तिम आदेश के विरुद्ध, ऐसा आदेश पारित होने के 90 दिनों के अन्दर, आवेदन प्राप्त करने की शक्ति होगी;

उपधारा (xi) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011

अतः अनुरोध है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011/नियमावली, 2012 के प्रावधानों के अनुरूप अंतिम रूप से तैयार एवं प्रकाशित अधिकार-अभिलेख में पारित आदेश के विरुद्ध बिहार भूमि न्यायाधिकरण अधिनियम, 2009 एवं नियमावली, 2010 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में आवेदनों को प्राप्त एवं सुनवाई करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

स०सं०:- 03/भू०अ०नि०(4) वि० सर्वे०-14/2022.....

ज्ञापांक : 03/भू०अ०नि०(4) वि० सर्वे०-14/2022..... 2704 पटना, दिनांक: 13/04/2023
प्रतिलिपि:- समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज/बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय/लखीसराय/जहानाबाद/अररिया/सीतामढ़ी/सुपौल/प०चम्पारण/जमुई/शिवहर/बांका/शेखपुरा/अपर समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त, सहरसा/कटिहार/पूर्णियाँ/अरवल/नालंदा/मुंगेर/मधेपुरा/खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू०अ०नि०(4) वि० सर्वे०-14/2022..... 2704 पटना, दिनांक: 13/04/2023
प्रतिलिपि:- सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु०), किशनगंज/बेगूसराय/लखीसराय/जहानाबाद/अररिया/सीतामढ़ी/सुपौल/प०चम्पारण/जमुई/शिवहर/बांका/शेखपुरा/सहरसा/कटिहार/पूर्णियाँ/अरवल/नालंदा/मुंगेर/मधेपुरा/खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू०अ०नि०(4) वि० सर्वे०-14/2022..... 2704 पटना, दिनांक: 13/04/2023
प्रतिलिपि:- भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय स्तर के सभी नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, आई०टी० सेल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू०अ०नि०(4) वि० सर्वे०-14/2022..... 2704 पटना, दिनांक: 13/04/2023
प्रतिलिपि: श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई०टी० सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू०अ०नि०(4) वि० सर्वे०-14/2022..... 2704 पटना, दिनांक: 13/04/2023
प्रतिलिपि : निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण